समाज कल्याण विभाग
दिल्ली सरकार
विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्याः 264
प्रश्नकर्ताः श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा
दिनॉकः 11.08.2017

क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेगें कि:-

	प्रश्न	उत्तर
(क)	जीवन के सांध्याकाल में वरिष्ठ नागरिकों का बेहतर, अधिक सुरक्षित, आर्थिक रूप से स्वाबलंबी तथा स्वस्थ्य जीवन यापन करने के लिए सरकार की क्या कोई योजना है,	जी हॉं। विभाग 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना चला रही है तथा विभाग द्वारा बुर्जुगों के लिये बिन्दापुर व लामपुर क्षेत्र में दो वृद्धाश्रम भी चलाये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त 10 नये वृद्धाश्रम बनाने की प्रकिया जारी है । वृद्धावस्था पेशन योजना के अन्तर्गत 60–69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/– रूपयें प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जन जाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/– रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/– रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । पात्रता– • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। • प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पॉच वर्ष का निवासी हो । • परिवार की आय 1 लाख रू0 वार्षिक से अधिक न हो । • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
(ख)	यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूप रेखा की जानकारी दें;	
(ग)	क्या सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को मंहगाई के इंडेक्स से जोड़ने की दिशा में कोई कदम उठाया है;	वर्तमान में मंत्रीमंडलीय निर्णय संख्या –2462 दिनांक 06/01/2017 के अनुसार माह फरवरी से विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत सहायता राशि में रूपये 1000/ प्रतिमाह की वृद्धि की गई है । इस निर्णय के उपरान्त फरवरी माह से 60–69 आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को 2000/–प्रतिमाह व 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 2500/– रूपये प्रतिमाह दिये जा रहे हैं जिनके बैंक खाते आधार से जुडे हुये है ।
(घ)	यदि हां, तो इसकी जानकारी दें;	
(ड.)	वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को नियमित रूप से पेंशन मिलती रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और	विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में नियमितता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये सभी पेंशन को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी बैंक खातों में नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है ।

पंकज कुमार
Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

(च)	इस वित्तीय वर्ष में पेंशन जारी करने में कब–कब और कितना–कितना विलम्ब हुआ और इनके क्या–क्या कारण थे ?	विभाग द्वारा चलाई जा रही वृद्धावस्था/विकलांग योजना के अन्तर्गत पेंशन भुगतान प्रणाली में नियमितता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये परिवर्तन किया है । सभी पेंशन सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं । हाल ही में कम्प्यूटर प्रणाली में वायरस के खतरे को देखते हुये नया पोर्टल तकनीकी सुधार के दौर से गुजर रहा था जिस कारण माह अप्रैल व मई की पेंशन प्रेषित करने में कुछ विलम्ब हुआ ।

पंकज कुमार

Sd Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002